CGRG010024662023

Presented on : 09-10-2023
Registered on : 04-12-2023
Decided on : 05-08-2026

प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रायगढ़, जिला–रायगढ़ (छ०ग०)

(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन)

मोटर दु०दावा प्रकरण क्रमांक–220/2024

संस्थित दिनाँक–10.10.2023

1. अनिता सिदार पिता रामकुमार सिदार, उम्र–21 वर्ष
2. सरिता सिदार पिता रामकुमार सिदार, उम्र–21 वर्ष

दोनों निवासी–ग्राम तिलगी, थाना व तहसील–पुसौर,

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

.... आवेदकगण

// विरूद्ध //

1. नेहरूलाल चौहान पिता कार्तिकराम चौहान, उम्र–48 वर्ष

निवासी–ग्राम बिजना, थाना व तहसील पुसौर,

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

(दुर्घटनाकारी वाहन हीरो एच.एफ.डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 13 ए एफ 2241 का पंजीकृत स्वामी)

2. शंकर लाल सिदार पिता पील लाल सिदार, उम्र–लगभग 32 वर्ष,

निवासी–ग्राम जोगीतराई, थाना व तहसील–पुसौर,

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

(दुर्घटनाकारी वाहन हीरो एच.एफ.डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 13 ए एफ 2241 का चालक)

3. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

द्वारा शाखा प्रबंधक,

प्रथम तल, गुरू कृपा टावर, आईसीआईसीआई बैंक के पास

व्यापार विहार बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

(दुर्घटनाकारी वाहन हीरो एच.एफ.डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 13 ए एफ 2241 का बीमाकर्ता कंपनी)

4. रामकुमार सिदार पिता कन्हाई सिदार, उम्र–43 वर्ष,

5. विमला सिदार पति रामकुमार सिदार, उम्र–41 वर्ष,

दोनों निवासी–ग्राम तिलगी, थाना व तहसील पुसौर,

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

..........अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से श्री ओ.पी.मिश्रा अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 01 एकपक्षीय ।

अनावेदक क्रमांक 02 की ओर से श्री बी.आर. पाण्डेय अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 की ओर से श्री मोहर दास चौहान अधिवक्ता ।

//अधिनिर्णय//

(आज दिनांक–05/08/2026 को घोषित)

1. आवेदकगण ने अनावेदकगण के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 01 के स्वामित्व की **वाहन हीरो एच.एफ. डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी.13 ए एफ 2241** को अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा उक्त वाहन का चालक होते हुए उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर कारित दुर्घटना में हुई मृतक दिनेश सिदार की मृत्यु की विभिन्न मदों में **कुल–54,00,000/–(अक्षरी चौवन लाख रूपये)** क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने बाबत् यह दावा आवेदन **धारा–166 मोटर यान अधिनियम 1988** के तहत पेश किया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अनावेदक क्रमांक 01 उक्त दुर्घटनाकारी वाहन **हीरो एच.एफ. डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी.13 ए एफ 2241** का पंजीकृत स्वामी एवं अनावेदक क्रमांक 02 उक्त वाहन का चालक तथा अनावेदक क्रमांक 03 उक्त वाहन का बीमाकर्ता कंपनी है तथा घटना दिनांक को उक्त दुर्घटनाकारी वाहन अनावेदक क्रमांक 03 के पास बीमित थी । अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 मृतक दिनेश सिदार के क्रमशः पिता एवं माता हैं ।

आवेदिकागण द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर के समक्ष प्रथम दावा आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे बिना गुणदोष पर विचार किये आवेदकगण का दावा आवेदन रायगढ़ अधिकरण के समक्ष दावा प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया गया था तथा वर्तमान में आवेदिकागण द्वारा द्वितीय दावा आवेदन इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 द्वारा उसी प्रकरण में उपस्थित होकर प्रकरण की कार्यवाही को आगे संचालित किया गया है ।

3. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दावा आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक 12.11.2019 को दिनेश सिदार कार्तिक पुन्नी नहाने सुबह सड़क पारकर पैदल तालाब जा रहा था तथा वह सड़क पार किया ही था कि ग्राम रैबार की ओर से **हीरो एच.एफ. डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी.13 ए एफ 2241** का चालक अनावेदक क्रमांक 02 अपने उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पैदल जा रहे दिनेश सिदार को ठोकर मार दिया जिससे दिनेश सिदार को अंदरूनी गंभीर चोटें आई । दिनेश सिदार को के.जी.एच. हॉस्पिटल ले गये जहां से उसे जिन्दल अस्पताल, रायगढ़ रिफर किया तथा वहां से रिफर करने पर रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल में

भर्ती किया गया जहां ईलाज के दौरान दिनांक 17.11.2019 को 11.30 बजे दिनेश सिदार की मृत्यु हो गई । उक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना पुसौर में **हीरो एच.एफ. डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी.13 ए एफ 2241** के चालक के विरूद्ध **अपराध क्रमांक 09/2020 अंतर्गत धारा–304 ए भा०दं०सं०** के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना पत्र दिनांक–11.01.2020 को दर्ज किया गया है तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

4. उक्त दुर्घटना के समय मृतक दिनेश सिदार 21 वर्षीय स्वस्थ एवं अविवाहित व्यक्ति था जो मजदूरी कर प्रतिमाह 12,000/–रूपये आय अर्जित करके स्वयं का तथा अपने परिवार का पालन–पोषण करता था तथा भविष्य में उसकी आय में वृद्धि होने की संभावना थी । आवेदकगण मृतक के विधिक वारिसान हैं जो कि मृतक की आय पर पूर्णतः आश्रित थे । उक्त दुर्घटना में दिनेश सिदार की असामयिक मृत्यु हो जाने से आवेदकगण जो कि आवेदिका क्रमांक 01 एवं 02 मृतक की बहने हैं तथा अनावेदक क्रमांक 05 एवं 04 मृतक के माता–पिता हैं, को अपूर्णीय क्षति कारित हुई है तथा आवेदकगण को भातृ प्रेम, पुत्र प्रेम व संरक्षण सुख से वंचित होना पड़ा है,

जिसकी गणना मुद्रा में नहीं की जा सकती है। दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 01 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी, अनावेदक क्रमांक 02 उक्त दुर्घटनाकारी वाहन का चालक एवं अनावेदक क्रमांक 03 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उक्त वाहन का बीमाकर्ता कंपनी है। अतः आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 को हुई क्षतिपूर्ति के लिये अनावेदकगण क्रमांक 01 से 03 संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी हैं। अतः अनावेदकगण के विरूद्ध आवेदकगण के पक्ष में विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति राशि **कुल–54,00,000/–(अक्षरी चौवन लाख रूपये)** संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से दिलाये जाने तथा उक्त राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदायगी तक ब्याज भी दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।

5. अनावेदक क्रमांक 01 के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध प्रकरण में दिनांक 29.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है तथा उसकी ओर से अपने पक्ष समर्थन में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया है ।

6. अनावेदक क्रमांक 02 की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत अपने जवाबदावा में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त दावा आवेदन के लगभग सभी

अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए यह अभिकथन किया है कि आवेदिकागण के द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय आवेदन है जहां पर आवेदिका ने अपने माता–पिता के द्वारा रायपुर के अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदिकागण को स्वयं को उक्त आवेदन में ही रायपुर के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही किया जाना चाहिए द्वितीय आवेदन पोषणीय न होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा आवेदन पत्र की कंडिका 01 से 02 वयस्क मृतक की बहने हैं इस कारण से माता–पिता के द्वारा ही आवेदन पत्र पोषणीय है । अतः आवेदकगण द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के विरूद्ध प्रस्तुत दावा आवेदन सारहीन होने से सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

7. अनावेदक क्रमांक–03 बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत अपने जवाबदावा में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त दावा आवेदन के लगभग सभी अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए यह अभिकथन किया है कि उक्त दुर्घटना के संबंध में अनावेदक क्रमांक 04 के द्वारा रायपुर अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति हेतु दावा आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रकरण क्रमांक 259/2020 के रूप में दर्ज है जिसकी प्रथम सुनवाई दिनांक 22.04.2020 को हुई तथा दिनांक 13.09.2024 को अनावेदक क्रमांक

04 द्वारा उक्त प्रकरण को वापस ले लिया गया है । आवेदक द्वारा उपरोक्त तथ्यों को जानबूझकर छिपाते हुए एवं नया वाद लाने की आवश्यकता क्यों हुई के बारे में जानकारी दिये बिना ही इस अधिकरण के समक्ष उक्त दावा आवेदन प्रस्तुत किया गया है । इस अनावेदक के बीमित वाहन से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है । कथित दुर्घटना दिनांक 12.11.2019 को एवं इसकी रिपोर्ट अधिक विलंब से दिनांक 11.01.2020 को होना लेख है तथा आवेदक द्वारा कथित दुर्घटना दिनांक का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें बीमित वाहन से दुर्घटना कारित किये जाने एवं दुर्घटनाकारी वाहन की कोई पहचान एवं वाहन नंबर का उल्लेख हो, इससे स्पष्ट है कि बीमित वाहन से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है बल्कि षडयंत्र पूर्वक क्षति धन पाने के नीयत से बीमित वाहन को फंसाया गया है ।

8. अनावेदक क्रमांक 03 ने अपने जवाबदावा में आगे यह भी अभिकथन किया है कि कथित दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वाहन चालन अनुज्ञप्ति, वाहन का आर.सी.बुक, बीमा पॉलिसी, पॉल्युशन सर्टिफिकेट का अभाव था तथा वाहन से संबंधित दस्तावेजों को विधिवत जांच कराने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है जो बीमा शर्तों का पूर्णतः उल्लंघन है । इस कारण

अनावेदक, आवेदकगण को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु उत्तरदायी नहीं है । आवेदकगण द्वारा बिना किसी कारण एवं आधार के अत्यंत बढ़ा चढाकर प्रतिकर की गणना करते हुए उक्त दावा आवेदन पेश किया गया है। अतः आवेदकगण का दावा आवेदन अनावेदक क्रमांक 03 के विरूद्ध सारहीन होने से सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

9. अनावेदक क्रमांक–04 एवं 05 की ओर से प्रस्तुत अपने जवाबदावा में दावा आवेदन के सभी अभिवचनों को स्वीकार करते हुए यह अभिकथन किया है कि अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 को समक्ष अधिकारिता वाले अधिकरण के समक्ष दावा आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ उनका आवेदन गुणदोष पर विचार किये बिना रायपुर अधिकरण द्वारा निरस्त किया जा चुका है । इन उत्तरदाता अनावेदकगण की पुत्रियों के द्वारा रायगढ़ अधिकरण के समक्ष पूर्व से ही दावा आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका था इसलिये अनावेदकगण उसी प्रकरण में उपस्थित होकर प्रकरण की कार्यवाही को आगे चला रहे हैं । वर्तमान में इस दुर्घटना के संबंध में इस प्रकरण के अलावा कहीं भी कोई प्रकरण न तो लंबित है और न ही गुण दोष के आधार पर पूर्व में कहीं निराकृत हुआ है । अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 मृतक दिनेश

सिदार के माता–पिता होने के कारण वे दोनों भी अनावेदक क्रमांक 01 से 03 से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः आवेदकगण के साथ उत्तरदाता अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 को भी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

10. **उभयपक्षों के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर दावा प्रकरण के निराकरण हेतु मेरे द्वारा निम्नलिखत वादप्रश्नों की रचना की गई है, जिन पर साक्ष्य विवेचना पश्चात् सकारण निष्कर्ष अंकित किये जा रहे है :–**

क्र.	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या घटना दिनांक 12.11.2019 को प्रातः स्थान–ग्राम तिलगी के तालाब के पास रोड किनारे में शंकर लाल सिदार अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 के स्वामित्व की मोटर सायकल वाहन क्रमांक सी.जी. 13 ए एफ 2241 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन करते हुए दिनेश सिदार को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया, जिससे दिनेश सिदार को आई गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई ?	**''प्रमाणित''**
2.	क्या घटना दिनांक 12.11.2019 को	**''प्रमाणित नहीं''**

	अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 के स्वामित्व की मोटर सायकल वाहन क्रमांक सी.जी. 13 ए एफ 2241 को बीमा पॉलिसी के शर्तों के उल्लंघन में चालन किया जा रहा था?	
3.	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो कितना, किससे एवं किस प्रकार ?	**''अधिनिर्णय की कंडिका 37 एवं 39 के अनुसार''**
4.	सहायता एवं वाद व्यय ?	**''अधिनिर्णय की कंडिका–40 के अनुसार दावा अंशतः स्वीकृत''**

11. आवेदकगण ने अपने दावा आवेदन के समर्थन में स्वयं आवेदिका **अनिता सिदार (आ०सा० 01)** का न्यायालयीन परीक्षण कराया गया है तथा आवेदकगण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में **दस्तावेज प्रदर्श पी 01 से प्रदर्श पी 06** तक प्रस्तुत किया गया है । उक्त दस्तावेजों का आवश्यकतानुसार आगे निर्णय में उल्लेख किया जावेगा ।

12. अनावेदक क्रमांक 02 की ओर से अपने पक्ष समर्थन में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है ।

13. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में **सिद्धार्थ टावरी (अना.सा.01)** विधि अधिकारी का परीक्षण कराया गया है तथा अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज **गोपनीय जांच प्रतिवेदन प्रदर्श डी–01** प्रस्तुत किया गया है ।

14. उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए । प्रकरण का सूक्ष्मता एवं गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया ।

//सकारण निष्कर्ष//

–:वादप्रश्न क्रमांक–01 पर सकारण निष्कर्ष:–

15. उपरोक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार स्वयं आवेदकगण पर है । आवेदक साक्षी **अनिता सिदार (आ.सा.01)** ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना दिनांक 12.11.2019 को उसका भाई मृतक दिनेश सिदार गांव के तालाब में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए जा रहा था, तभी ग्राम रैबार की ओर से शंकर सिदार मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 13 ए

एफ 2241 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसके भैया को ठोकर मार दिया जिससे उसे अंदरूनी चोटें आयी थी। उसके भैया को के.जी. अस्पताल, रायगढ़ ले गये जहां से उसे रिफर करने पर जिन्दल अस्पताल और फिर रायपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दिनांक 17.11.2019 को उसके भैया दिनेश सिदार की मृत्यु हो गई । उक्त साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में घटना के मुख्य बिन्दु पर कोई तात्विक खण्डन नहीं हो पाया है।

16. आवेदकगण की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में यादव लाल सिदार आ.सा02 का साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना दिनांक 12.11.2019 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः वह और दिनेश सिदार स्नान करने के लिए जा रहे थे, दिनेश सिदार आगेआगे जा रहा था और उससे थोड़ी दूरी पर चल रहा था तभी मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 13 ए एफ 2241 के चालक ने अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए रोड किनारे पैदल जा रहे दिनेश सिदार के ऊपर चढ़ा दिया जिससे दिनेश सिदार वहीं गिर गया । दिनेश सिदार को के.जी. अस्पताल रायगढ ले गये, वहां से रिफर करने पर जिन्दल अस्पताल लेकर गये जहां से रायपुर रिफर किया गया और वहां दिनेश की

मृत्यु हो गई । इस साक्षी के अनुसार उक्त दुर्घटना उसके सामने ही घटित हुई थी । प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के कथनों का कोई भी खंडन नहीं हुआ है ।

17. आवेदकगण द्वारा अपने दावा के समर्थन में उक्त घटना की रिपोर्ट से संबंधित थाना–पुसौर, जिला–रायगढ़ में दर्ज अपराध क्रमांक 09/2020 से संबंधित दांडिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी 01,** मर्ग इंटीमेशन **प्रदर्श पी 02**, शव परीक्षण हेतु आवेदन **प्रदर्श पी 03** एवं प्रतिवेदन **प्रदर्श पी 04,** संपत्ति जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 05**, अंतिम प्रतिवेदन **प्रदर्श पी 06** तथा मृतक दिनेश सिदार एवं आवेदकगण का आधार कार्ड एवं उनके माता–पिता के पेन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

18. आवेदकगण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत दांडिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट दर्शित होता है कि थाना पुसौर के अपराध क्रमांक 09/2020 के तहत वाहन **हीरो एच.एफ.डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 13 ए एफ 2241** के चालक के विरूद्ध **धारा 304 ए भा०दं०सं०** के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उसके विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र **प्रदर्श पी 01** दर्ज किया गया है तथा विवेचना पूर्ण

उपरांत वाहन हीरो एच एफ डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक **सी.जी. 13 ए एफ 2241** के चालक/अनावेदक क्रमांक 02 शंकर लाल सिदार के विरूद्ध धारा 304 ए भा०दं०सं० के अंतर्गत अभियोग पत्र **प्रदर्श पी 06** न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है ।

19. अनावेदक पक्ष के द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत उक्त दांडिक दस्तावेजों का खंडन नहीं किया गया है और न ही उक्त दस्तावेजों के चुनौती स्वरूप कोई दस्तावेज पेश किया गया है । अतः खंडन के अभाव में उक्त दांडिक दस्तावेजों पर अविश्वास किये जाने का कोई भी कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं है ।

20. माननीय न्याय दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध रत्तानी एवं अन्य ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 1499** में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटरयान अधिनियम से संबंधित क्लेम प्रकरण में प्रथम सूचना प्रतिवेदन/अंतिम प्रतिवेदन भले ही साक्ष्य में कठोरता से ग्राह्य न हो तब भी क्लेम प्रकरण के निराकरण के लिये इस प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों को देखा जा सकता है ।

21. अतः उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 12.11.2019 को वाहन **हीरो एच.एफ.डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 13 ए एफ 2241** को अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा उक्त वाहन का चालक होते हुए उसे उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए दिनेश सिदार को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया, जिससे दिनेश सिदार को आई गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई ।

अतः **वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष "प्रमाणित" के रूप में दिया जाता है ।**

–:वाद प्रश्न क्रमांक–02 पर सकारण निष्कर्ष:–

22. इस वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक–03 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर है। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 03 की ओर साक्षी **सिद्धार्थ टावरी (अना.सा.01) विधि अधिकारी** का परीक्षण कराया गया है । उक्त साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना दिनांक 12.11.2019 के 55 दिन बाद दिनांक 11.01.2020 को थाना–पुसौर, जिला–रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी जिसमें पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में नक्शा

पंचायतनामा, पी.एम.रिपोर्ट, शव परीक्षण आवेदन एवं प्रतिवेदन, वाहन क्रमांक का उल्लेख नहीं है तथा अभियोग पत्र के अनुसार मोटर सायकल नंबर सी.जी. 13 ए एफ 2241 को झूठे आधारों पर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु फंसाया गया है । उक्त दुर्घटना के संबंध में बीमा कंपनी की ओर से अन्वेषण जांच हेतु नियुक्त सूर्यकांत मिश्रा द्वारा प्रस्तुत **गोपनीय जांच प्रतिवेदन प्रदर्श डी–1** है । उक्त मोटर सायकल को गलत तरीके से प्रकरण में संलिप्त किया गया है इसलिए बीमा कंपनी आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है ।

23. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि एफ.आई.आर में दुर्घटना कारित करने वाली मोटर सायकल का नंबर दर्ज है तथा घटना के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् अन्वेषक सूर्यकांत मिश्रा द्वारा अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा मर्ग इंटीमेश्न, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुर्घटनाकारी वाहन का नंबर उल्लेखित नहीं होने के आधार पर वह कथन कर रहा है कि मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 13 ए एफ 2241 से दुर्घटना कारित नहीं हुई है तथा यह स्वीकार किया है कि उक्त वाहन घटना दिनांक को उनकी बीमा कंपनी में बीमित थी । अतः उक्त साक्षी के साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो

रही है कि दुर्घटनाकारी वाहन सी.जी. 13 ए एफ 2241 घटना दिनांक को दुर्घटना में संलिप्त नहीं थी ।

24. प्रकरण में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत थाना पुसौर के अपराध क्रमांक 09/2020 के तहत अनावेदक क्रमांक 02 के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग पत्र **प्रदर्श पी 06** के अवलोकन से भी यह दर्शित है कि अनावेदक क्रमांक 02 के विरूद्ध विवेचना उपरांत केवल **धारा 304 ए भा.दं.सं.** के तहत ही अभियोग पत्र पेश किया गया है तथा मोटर यान अधिनियम के तहत कोई भी धारा संयोजित नहीं की गई है इसके अतिरिक्त उक्त दुर्घटनाकारी वाहन मोटर सायकल एच.एफ.डिलक्स क्रमांक सी.जी. 13 ए एफ 2241 का आर.सी.बुक, बीमा पत्रक एवं ड्रायव्हिंग लायसेंस भी प्रकरण में जप्त किया जाना दर्शित है जिससे भी अनावेदक क्रमांक 02 के पास घटना दिनांक को उक्त वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ वाहन चालन किये जाने की पुष्टि होती है ।

25. अनावेदक क्रमांक 03 के द्वारा अपने तर्क समर्थन में प्रस्तुत **विधि अधिकारी सिद्धार्थ टावरी (अना.सा.01)** के साक्ष्य से इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है कि वाहन चालक के द्वारा घटना के समय उक्त मोटर सायकल

वाहन को बिना दस्तावेजों के चालन किया गया । इसके अतिरिक्त अनावेदक क्रमांक 03 के द्वारा अपने पक्ष में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि उक्त दुर्घटनाकारी वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 02 के पास दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति, पंजीयन पुस्तिका नहीं थी तथा उक्त वाहन को घटना के समय बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ।

फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक–03 पर सकारण निष्कर्षः–

26. उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार आवेदकगण पर है । आवेदिका **अनिता सिदार (आ.सा.01)** ने कथन किया है कि मृतक दिनेश सिदार उसका भैया था तथा आवेदिका क्रमांक 01 एवं 02 मृतक की बहने एवं अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 मृतक के पिता–माता है । आवेदक के उक्त कथनों का अनावेदक क्रमांक 01 से 03 द्वारा खण्डन नहीं किया गया है । अतः खण्डन के अभाव में यह प्रकट होता है कि आवेदिका क्रमांक 01 एवं 02

मृतक दिनेश सिदार की बहने हैं एवं अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 क्रमशः मृतक के पिता–माता होकर मृतक के विधिक उत्तराधिकारी हैं जो मृतक की आय पर भरण–पोषण हेतु पूर्णरूप से आश्रित थे ।

27. यद्यपि आवेदिका **अनिता सिदार (आ.सा.01)** ने मृतक के उम्र के संबंध में कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथापि प्रकरण में आवेदकगण की ओर से मृतक की आयु के संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों शव परीक्षण आवेदन एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक की **आयु 21 वर्ष** अंकित है । अतः उक्त दस्तावेजों में उल्लेखित **आयु 21 वर्ष** को ही प्रमाणित पाते हुए घटना दिनांक को मृतक दिनेश सिदार की **आयु 21 वर्ष** होना निर्धारित किया जाता है।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न न्याय–दृष्टांतों में यह कहा गया है कि **मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166** के अंतर्गत दावाकर्ता को समुचित क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाना चाहिए । ऐसी क्षतिपूर्ति ऋजु, साम्यिक एवं न्यायसंगत होना चाहिए । क्षतिपूर्ति प्रदान करने का उद्देश्य दावाकर्ता को उसके परिवार के किसी सदस्य की हानि या शारीरिक क्षति के निवारण स्वरूप उसे न्यायसंगत प्रतिकर प्रदान करना है, जिससे

दावाकर्ता को हुई हानिक का कुछ सीमा तक निवारण किया जा सके । यद्यपि ऐसी हानि की प्रतिपूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकती, परंतु फिर भी अधिकरण का यह प्रयास होना चाहिए कि दावाकर्तागण को एक न्यायसंगत, ऋजु एवं साम्यिक प्रतिकर प्रदान किया जाए ।

29. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त मत को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में आगे आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

अब प्रकरण में आगे के प्रक्रम में मृतक की आय एवं आश्रितता के संबंध में निर्धारण किया जा रहा है। आवेदिका **अनिता सिदार (आ.सा. 01)** ने अपने न्यायालयीन कथन में अपने मृतक भाई दिनेश सिदार को मजदूरी का कार्य प्रतिमाह 12,000/–रूपये मासिक आय अर्जित करना बताया है । प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी **अनिता सिदार (आ.सा.01)** ने स्वीकार किया है कि मृतक को 12,000/–रूपये मासिक आय प्राप्त होने के संबंध में प्रकरण में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । इस प्रकार अभिलेख में मृतक दिनेश सिदार के आय अर्जित करने के संबंध में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार का कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

30. आवेदकगण द्वारा मृतक के आय के संबंध में अपने मौखिक कथनों के अलावा कोई विश्वसनीय दस्तावेज या प्रमाणिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि मृतक मजदूरी कार्य कर 12,000/–रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था ।

31. प्रकरण में आगे इस बिंदु पर विचार किया जाना है कि आवेदकगण को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की मात्रा क्या होगी?

उपरोक्त स्थिति में मृतक दिनेश सिदार की आय का निर्धारण तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि मृतक के मजदूरी कार्य करने के संबंध में आवेदकगण द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उसे अकुशल श्रेणी का श्रमिक मानते हुए मृतक की तत्समय मासिक आय न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार मृतक की प्रतिमाह आय **₹8,600/– की दर से वार्षिक आय ₹8,600 X 12=1,03,200/–(अक्षरी एक लाख तीन हजार दो सौ रूपये मात्र)** वार्षिक होना निर्धारित किया जाता है।

32. प्रकरण में माननीय न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय शेट्ठी एवं अन्य 2017 (4) ए.सी.सी.डी. 2106 (एस.सी.)** अवलंबनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में मृतक दिनेश सिदार की आयु **21 वर्ष** होने के कारण उपरोक्त न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में भावी आय की संभावना के मद में **40 प्रतिशत राशि अर्थात् 1,03,200x40%=41,280/-रूपये** जोड़े जाने पर **कुल वार्षिक आय 1,03,200+41,280=1,44,480/-(अक्षरी एक लाख चौवालिस हजार चार सौ अस्सी रूपये मात्र)** होगी ।

33. मृतक की उक्त वार्षिक आय में से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **सरला वर्मा एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, 2009 एसीजे 1298** में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार यदि मृतक अविवाहित है वहां 1/2 भाग की कटौती की जानी चाहिये । अतः उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में ½ अंश उसकी **व्यक्तिगत व्यय** मानते हुए उसकी उपरोक्त वार्षिक आय में से ½ अंश घटाने पर **72,240/-(अक्षरी बहत्तर हजार दो सौ चालीस रूपये)** की कटौती किये जाने पर **1,44,480-**

72,240=72,240/–(अक्षरी बहत्तर हजार दौ सौ चालीस रूपये) आवेदकगण की कुल आश्रितता की हानि आंकलित की जाती है ।

34. माननीय न्यायदृष्टांत **सरला वर्मा व अन्य विरूद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य (2009)6 एस.सी.सी. 121** के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां मृतक की **उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच** हो, वहां **18 का गुणांक लागू होगा ।** मृतक की दुर्घटना के समय आयु **21 वर्ष** होना निर्धारित किया गया है । अतः उसकी वार्षिक आय **72,240/–रूपये** में 18 का गुणांक लगाने पर कुल राशि **72,240x18=13,00,320/–(अक्षरी तेरह लाख तीन सौ बीस रूपये)** होती है ।

अतः आवेदकगण को आश्रितता की हानि के मद में कुल **13,00,320/–(अक्षरी तेरह लाख तीन सौ बीस रूपये)** दिलाया जाता है ।

35. इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत **United India Insurance Co. Ltd. Vs Satinder Kaur alias Satwinder Kaur and Others** 2020 **SCC OnLine (SC)** 410 (**Judgement Date** 30.06.2020) एवं **New India Insurance Co. Ltd. Vs Somwati** (2020) 9

SCC 644 (**Judgement Date** 7.9.2020) में **प्रणय सेठी** (पूर्वोक्त) के इस दिशा निर्देश को लागू किया गया है कि तीन वर्ष पश्चात् अंत्येष्टि खर्च और Consortium की राशि में 10% की वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में प्रणय सेठी (पूर्वोक्त) के निर्णय दिनांक–31/10/2017 को पारित हुये तीन वर्ष हो चुके हैं, अतः इस मामले में भी उपरोक्तानुसार 10% की वृद्धि की जाएगी।

36. इसके अलावा **माननीय न्यायदृष्टांत सतीन्दर कौर (पूर्वोक्त)** में मृतक की पत्नी, पुत्र–पुत्रियों एवं माता–पिता को क्रमशः (Spousal consortium, parental consortium, Filial consortium) हेतु पृथक–पृथक Consortium दिलाये जाने के दिशा निर्देश है। अतः उपरोक्त समस्त दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुये **अंत्येष्टि खर्च के मद में** 16,500/–रूपये**, सम्पदा की हानि के मद में** 16,500/–रूपये एवं भातृ एवं पुत्र शोक के मद में (क्रमशः आवेदक क्रमांक–01, 02 तथा 04 व 05 हेतु) प्रत्येक **44,000x4=1,76,000/–(अक्षरी एक लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र)** दिलाई जाती है।

37. अतः आवेदकगण को विभिन्न मदों के अंतर्गत निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती है–

क्र०	मद	क्षतिपूर्ति राशि
1.	आश्रितता की हानि	13,00,320/–रू.
2.	भातृ एवं पुत्र शोक	44,000x4= 1,76,000/–रू.
3.	संपदा की हानि	16,500/–रू.
4.	अंत्येष्टि व्यय	16,500/–रू.
	कुल राशि रूपये=	15,09,320/–रू.

कुल क्षतिपूर्ति राशि 15,09,320/–(अक्षरी पन्द्रह लाख नौ हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र)

----

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **Amresh Tiwari Versus Niranjan lal jagdish prasad jain and others** (2009 **scc online SC** 1533) एवं न्यायदृष्टांत

Jitendra Khlmshankar Trivedi and others Versus Kasam Daud Kumbhar and others (2015 **SCC Online SC** 91) में क्षतिपूर्ति राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिलाया जाना अभिनिर्धारित किया है ।

अतः आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि **15,09,320/-(अक्षरी पन्द्रह लाख नौ हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र)** पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी आवेदन प्रस्तुति दिनांक 10.10.2023 से अदायगी दिनांक तक प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

39. चूंकि प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि अनावेदक क्रमांक 01 पंजीकृत स्वामी, अनावेदक क्रमांक 02 दुर्घटनाकारी वाहन का चालक एवं अनावेदक क्रमांक 03 बीमाकर्ता कंपनी है तथा दुर्घटना दिनांक को उक्त दुर्घटनाकारी वाहन अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के पास बीमित थी। उक्त वाहन को घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 02 शंकर लाल सिदार द्वारा चालन किया जा रहा था । अतः उक्त कथित संपूर्ण घटना के लिए अनावेदकगण क्रमांक 01 एवं 02 संयुक्त एवं पृथक रूप से आवेदकगण को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु उत्तरदायी है किंतु क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का **प्रथम उत्तरदायित्व अनावेदक क्रमांक 03** बीमा कंपनी का होगा ।

अतः वाद प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

सहायता एवं वाद व्ययः–

40. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना उपरांत यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदकगण अपना दावा अंतर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम, 1988 अनावेदकगण के विरूद्ध **आंशिक रूप** से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से **स्वीकार** किया जाता है और निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है

1.	अनावेदकगण क्रमांक 01 से 03 संयुक्तः एवं पृथकतः आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 को **15,09,320/–(अक्षरी पन्द्रह लाख नौ हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र)** अधिनिर्णय दिनांक से 30 दिन के भीतर भुगतान करेंगे। उक्त क्षतिपूर्ति राशि भुगतान का **प्रथम उत्तरदायित्व अनावेदक क्रमांक 03** बीमा कंपनी का होगा।
2.	आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05, अनावेदक क्रमांक 03 से उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से पूर्ण अदायगी दिनांक तक **9 प्रतिशत** वार्षिक साधारण ब्याज पाने के अधिकारी होंगे।
3.	यदि आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 को पूर्व में कोई क्षतिपूर्ति अथवा अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गयी हो तो वह

	अवार्ड की उक्त राशि में समायोजित की जावे ।
4.	उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि **15,09,320/-(अक्षरी पन्द्रह लाख नौ हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र)** अदा किए जाने पर उक्त राशि में से आवेदिका क्रमांक 01 एवं 02 तथा अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 को क्रमशः 3,77,330-3,77,330**/-(अक्षरी तीन लाख सतहत्तर हजार तीन सौ तीस रूपये मात्र)** की राशि उनके बचत खाते में नगद एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्रदान किया जावे ।
5.	अनावेदक क्रमांक 01 से 03 स्वयं का तथा आवेदकगण का वाद व्यय वहन करेंगे।
6.	अधिवक्ता शुल्क 1,000/-रूपये प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो, नियमानुसार देय होगा ।
तदानुसार व्यय-तालिका बनायी जावे।	

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

स्थान-रायगढ़ (छ.ग.)

सही/-

दिनांक-05.08.2026

(श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन)
प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
रायगढ़ (छ०ग०)